Email.ID- dmcumdeopwl@gmail.com
Fax/Phone- 01368-222217

//कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल//
संख्या 187/29-प्र०वि०/2016 दिनांक 6 जुलाई, 2017

प्रेस विज्ञप्ति

जनसाधारण को सूचित किया जाता है, कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद की सभी छः विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों (36–यमकेश्वर, 37–पौड़ी (अ0जा0), 38–श्रीनगर, 39–चौबट्टाखाल, 40–लैन्सड़ौन एवं 41–कोटद्वार) की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों को शुद्ध एवं त्रुटिरहित तैयार किये जाने हेतु दिनांक 01 जनवरी, 2017 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 10 जुलाई, 2017 से दिनांक 10 अगस्त, 2017 तक विशेष सघन (Special Drive) पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत घर–घर (Door-to-Door) जांच एवं सत्यापन हेतु जनपद के प्रत्येक मतदेय स्थल पर नियुक्त बी0एल0ओ0 के द्वारा किया जा रहा है। आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का जनसाधारण के अवलोकनार्थ/निरीक्षण किये जाने हेतु विशेष अभियान के तहत दिनांक 22/23 जुलाई, तथा 5/6 अगस्त, 2017 को बी0एल0ओ0 अपने–अपने मतदेय स्थलों पर उपस्थित रहेंगे।

2. ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हों तथा जिसने 01 जनवरी, 2017 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो एवं वह उस क्षेत्र में साधारणतः निवास कर रहा हो तथा अयोग्य घोषित न किये गये हो वे फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराये जाने हेतु वे अपने क्षेत्र के बी0एल0ओ0, तहसील एवं निर्वाचन कार्यालय से प्रारूप–6 प्राप्त कर एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

3. विधान सभा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत परिवार में किसी अर्ह मतदाता की मृत्यु हो गयी हो या मतदाता सामान्यतः उस क्षेत्र में निवास नहीं कर रहा है, अर्थात शादी होने या अन्य कारणों से शिफ्ट हो गये हों तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया अथवा किसी वयस्क, सदस्य द्वारा प्रारूप–7 पर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

4. निर्वाचक नामावली में यदि किसी मतदाता से संबंधित प्रविष्टि में जैसे अनुभाग के अन्तर्गत ग्राम व मौहल्ले, मकान नम्बर, नाम, सम्बन्ध, सम्बन्धी का नाम उम्र लिंग, पुरुष, महिला एवं फोटो आदि में कोई त्रुटि हो तो ऐसी अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध करवा सकते हैं जिसके लिए प्रारूप–8 पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

5. यदि कोई अर्ह नागरिक अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर अपना नाम स्थानांतरित करना चाहता है, तो वह 8क में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें पूर्व एवं वर्तमान के पूर्ण पते का उल्लेख करें।

6. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के माननीय जनप्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों, स्वयं सेवी संस्थाओं, युवक मंगल दलों, तथा एन0जी0ओ0 आदि से उक्त कार्य को सफल सम्पादित किये जाने हेतु यह अपेक्षा की जाती है, कि वह अपने–अपने क्षेत्र में ऐसे अर्ह मतदाताओं का नाम सम्मिलित एवं शुद्ध कराये जाने हेतु सहयोग प्रदान करें।

7. जनपद के समस्त कार्यालय अध्यक्षों एवं शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के प्राचार्यों से अपील की जाती है, कि वे सम्बंधित कर्मचारियों/छात्र–छात्राओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराये जाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

8. विस्तृत जानकारी के लिए जनपद की हेल्प लाइन टोल फ्री नम्बर 01368–1950 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

स्थानः पौड़ी गढ़वाल।
दिनांकः

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल।